

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/विविध/52/2014/ 38879

दिनांक:- 15.10.14

परिपत्र

राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 21 (2) के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में लाये बिना, अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई अचल सम्पत्ति, पट्टे, बन्धक, खरीद, विक्रय, उपहार या अन्य प्रकार से प्राप्त या विसर्जित (dispose off) नहीं करेगा:

परन्तु यह है कि - यदि ऐसा कार्य निम्न प्रकार का हो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।

- (1) सरकारी कर्मचारी के साथ शासकीय कार्यकलाप से सम्बद्ध व्यक्ति के साथ, या
- (2) किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यवहारी (डीलर) के द्वारा नहीं हो।


(ओमप्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/विविध/52/2014/38880-84 दिनांक:- 15.10.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।
- 2- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहा. निदेशक/सां. अधि., निदेशालय मुख्यालय
- 3- नोडल अधिकारी, वेबसाईट को उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 4- रक्षित पत्रावली।


(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)